भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4875
(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत व्यय धनराशि

4875. श्रीमती प्रमिला बिसाईः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मजबूरी में पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अन्तर्गत किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;
(ख) 2014-15 से मनरेगा योजना के अन्तर्गत खर्च की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) मजदूरी के गैर-भुगतान का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) 2017-18 से मनरेगा योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 में ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मानव श्रम करना चाहते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर देश के अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों अथवा प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त 50 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय विपरीत परिस्थितियों के कारण पलायन के संबंध में आँकड़े एकत्र नहीं करता है। तथापि, कुछ अनुसंधान अध्ययनों में निर्दिष्ट किया गया है कि मनरेगा की वजह से विपरीत परिस्थितियों के कारण होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिली है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 19.07.2019 तक) मनरेगा के अंतर्गत व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): निधियों की रिलीज एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय समय-समय पर स्वीकृत श्रम-बजट (एलबी), अथशेष, निधियों के उपयोग की गति, विगत वर्ष की लंबित देयताएं, यदि कोई हैं, एवं समग्र निष्पादन के आधार पर निधियां दो ट्रेंच में रिलीज करता है जिसमें प्रत्येक ट्रेंच में एक या एक से अधिक किस्तें शामिल होती हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 19.07.2019 तक) के दौरान मनरेगा के अंतर्गत अकुशल मजदूरी संबंधी लंबित एफटीओ का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। इसलिए, निधियों का कार्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अनुसार, वर्ष 2017-18 से मनरेगा योजना के अंतर्गत आँगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्र.सं. 4875 के भाग (ख) के उत्तर के विवरण में उल्लिखित अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य	व्यय* (रूपए लाख में)					
		2014-15	2015-16	2016-17 **	2017-18 #	2018-19 $	2019-20 (19.07.2019 तक)
1	आंध्र प्रदेश	289514.19	473782.96	459814.95	643111.68	831402.60	291505.13
2	अरूणाचल प्रदेश	3509.43	6623.65	15626.21	22597.85	21350.08	442.57
3	असम	49723.73	62049.12	150108.55	153079.29	133845.69	55269.61
4	बिहार	105649.54	162572.99	219256.77	293103.81	320454.63	107507.43
5	छत्तीसगढ़	175150.39	128295.77	275259.88	331079.81	305092.00	123189.34
6	गोवा	457.15	300.59	400.32	287.41	27.67	0.67
7	गुजरात	47016.87	42860.58	74207.11	89320.16	109577.07	38590.79
8	हरियाणा	21573.10	14235.15	32462.04	31906.33	36544.86	9315.59
9	हिमाचल प्रदेश	40595.86	39197.44	56272.24	56795.80	84946.96	16673.71
10	जम्मू एवं कश्मीर	39081.76	76642.80	83342.41	116980.71	86201.95	38453.31
11	झारखंड	101646.27	133104.30	184027.79	152924.99	152134.96	49573.06
12	कर्नाटक	166327.00	182193.39	330836.79	300029.19	360459.91	204049.97
13	केरल	161675.31	148339.97	242287.90	190188.85	298313.80	57819.13
14	मध्य प्रदेश	280838.86	250107.45	364828.01	425413.18	540400.80	167289.01
15	महाराष्ट्र	160874.67	185724.73	209425.53	230809.44	238921.09	72547.76
16	मणिपुर	26712.56	23122.01	36979.65	19507.03	29483.93	9925.92
17	मेघालय	30910.99	27230.73	79436.83	113470.95	91334.18	16415.29
18	मिजोरम	11420.13	29859.36	14983.11	21227.89	49303.81	15832.44
19	नागालैंड	15781.62	19485.31	61872.72	96963.81	24405.43	8416.41
20	ओड़िशा	105937.83	205151.37	213571.12	250406.48	231565.67	67934.44
21	पंजाब	21240.42	30026.33	53358.51	63817.59	66980.30	23348.80
22	राजस्थान	325125.23	326729.98	515296.07	513821.14	568183.62	270698.33
23	सिक्किम	7643.42	9522.47	13747.11	12460.87	9453.49	2029.59
24	तमिलनाडु	362396.80	602752.63	567400.22	635476.90	576646.36	178355.71
25	तेलंगाना	192991.16	240732.60	210900.43	278485.31	318504.04	127015.18
26	त्रिपुरा	81693.29	137130.00	120027.62	46645.36	55521.87	23227.63
27	उत्तर प्रदेश	312565.71	297614.81	425262.36	450298.24	293702.52	124158.35
28	उत्तराखंड	32266.11	49254.40	72023.97	69243.73	63322.31	9566.92
29	पश्चिम बंगाल	399236.70	484554.25	724581.68	791314.60	772944.73	121508.98
30	अंडमान एवं निकोबार	974.86	398.69	267.60	417.31	566.43	121.06
31	लक्षद्वीप	70.50	29.83	20.37	21.22	24.22	0.35
32	पुदुचेरी	650.16	917.82	1100.51	1450.35	1573.15	311.36
	कुल	**3571251.62**	**4390543.48**	**5808986.38**	**6402657.28**	**6673190.13**	**2231093.84**

स्रोत: www.nrega.nic.in

***राज्य अंश सहित**

**** वि.व. 2016-17 के दौरान सभी एनईएफएमएस राज्य / सं.रा. क्षेत्र के 56268.00 लाख रू. के विफल एफटीओ सहित।**

 # वि.व. 2017-18 के दौरान रद्द लेन-देन राशि के कारण मजदूरी व्यय में से कटौती किए गए 136890.498 लाख रू. सहित।

$ वि.व. 2018-19 के दौरान 156046.92 लाख रू. के विफल लेन-देन सहित।

लोक सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्र.सं. 4875 के भाग (ग) के उत्तर के विवरण में उल्लिखित अनुबंध-II

वित्तीय वर्ष 2019-20 (19.07.2019 तक)

क्र.सं.	राज्य	लंबित एफटीओ (रूपए लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	70889.50
2	हिमाचल प्रदेश	231.94
3	कर्नाटक	23338.25
4	मध्य प्रदेश	1436.15
5	राजस्थान	32164.54
6	तेलंगाना	831.47
7	त्रिपुरा	2173.77
8	असम	6985.80
9	झारखंड	1365.91
10	केरल	10633.57
11	बिहार	1036.01
12	छत्तीसगढ़	2308.82
13	महाराष्ट्र	563.86
14	पंजाब	1477.01
15	उत्तर प्रदेश	9615.42
16	पश्चिम बंगाल	7113.54
कुल		172165.53

लोक सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्र.सं. 4875 के भाग (घ) के उत्तर के विवरण में उल्लिखित अनुबंध-III

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान आँगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए हुए व्यय का ब्यौरा

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2018-19	2017-18
1	आंध्र प्रदेश	4.95	6539.06	13757.06
2	अरूणाचल प्रदेश	0	12.82	292.36
3	असम	48.94	518.65	1392.49
4	बिहार	42.04	330.18	195.35
5	छत्तीसगढ़	577.81	7339.33	12945.33
6	गुजरात	567.66	2158.11	270.67
7	हरियाणा	46.39	28.51	11.59
8	हिमाचल प्रदेश	30.5	106.22	19.36
9	जम्मू एवं कश्मीर	98.11	151.07	150.87
10	झारखंड	65.36	2582.28	5358.01
11	कर्नाटक	1523.45	3912.51	3466.38
12	केरल	229.21	574.07	315.39
13	मध्य प्रदेश	1749.34	6908.73	3494.26
14	महाराष्ट्र	37.28	78.27	50.86
15	मणिपुर	0	5.09	0
16	मेघालय	243.85	856.67	110.19
17	मिजोरम	0	74.26	251.84
18	नागालैंड	76.12	75.83	142.67
19	ओड़िशा	1961.34	11141.25	15129.87
20	पंजाब	57.17	231.34	387.69
21	राजस्थान	474.75	2516.6	3335.39
22	सिक्किम	15.85	63.66	46.97
23	तमिलनाडु	306.25	6823.89	7680.25
24	तेलंगाना	0.2	1671.59	2255.67
25	त्रिपुरा	34.08	58.88	157.81
26	उत्तर प्रदेश	1363.6	15127.79	29675.85
27	उत्तराखंड	88.06	1495.19	1934.02
28	पश्चिम बंगाल	1294.28	8975.59	7446.23
29	अंडमान एवं निकोबार	0.31	2.16	0
30	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल	**10936.9**	**80359.6**	**110274.43**

स्रोत: www.nrega.nic.in